

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।


दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,


मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,

  
अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

  
अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

दिनांक 20 अगस्त, 2015

प्रशासना क्रमांक: 11  
तैयारी क्रमांक: 4/58  
क्रमांक: 22/8/15

1860  
24/8/15

4266  
25/8/15

PA  
25/8

JD(A)  
26/8/15

106  
26/8/15

24/8/15  
PSD/A